कार्यालय अनुमंडल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

"बीज ग्राम संकुल" स्थापना हेतु आम सूचना

सरकार के सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के पत्रांकः 93 दिनांकः 02.06.2010 के आलोक में सरायकेला-खरसावाँ जिला के कृषकों को सूचित किया जाता है कि इस जिले में कुल 5 बीज ग्राम संकुल (Seed Village Cluster) विकसित करना है। चयनित संकुल में प्रमाणित बीज का उत्पादन होगा। बीज ग्राम संकुलों के चयन का मापदण्ड निम्न प्रकार है -

1- चयनित बीज ग्राम संकुल न्यूनतम 500 एकड़ का होगा एवं इसमें उपलब्ध संसाधनों का कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा प्राथमिकता देते हुए और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

2- चयनित ग्रामों के किसान प्रगतिशील किसान होंगे जिन्हें खाद, बीज तकनीक, इत्यादि का प्रयाप्त जानकारी हो तथा जो इस योजना के तहत कार्य करने हेतु इच्छुक हो।

3- उक्त ग्राम की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जो राज्य की औसत उत्पादकता से अधिक हो।

4- चयनित ग्रामों में सतत् (Continuous irrigation) की सुविधा होना श्रेयस्कर होगा।

5- न्यूनतम 500 एकड़ भूमि लगातार (Compact and Continuous) होनी चाहिए।

6- इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों की संख्या न्यूनतम 50 और अधिकतम 150 होनी चाहिए।

7- बीज ग्राम संकुल के चयन के उपरान्त उक्त संकुल के कृषकों के साथ विभाग के द्वारा इस आशय का एम.ओ.यू. किया जायेगा, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा संकुल को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं संकुलों के कृषकों से राज्य सरकार की अपेक्षाओं के संबंध में वर्णन रहेगा।

8- राज्य सरकार के द्वारा संकुल को आधारित एवं प्रमाणित बीज (Foundation and Certified Seed) 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जायेगें। बीज उत्पादन हेतु फसल एवं प्रभेद का चयन संबंधित कृषक समूह की सहमति एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों की देख-रेख में किया जायेगा। उत्पादित बीजों का क्रय कर राज्य बीज क्रय नीति के अनुरूप किया जायेगा।

9- चयनित बीज ग्राम संकुल के कृषकों हेतु 10 क्विंटल क्षमता का धातु कोठिला (Metal Bin) प्रति किसान रू. 1500/(एस0टी0/एस0सी0) तथा रू. 1000/ (अन्य) की दर से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जायेगी।

10- चयनित बीज ग्राम संकुल को "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना", "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन", सूक्ष्म सिंचाई योजना, एक्सटेंशन रिफोर्म्स योजना से आच्छादित किया जायेगा तथा अनुमान्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

अतः सरायकेला-खरसावाँ के ईच्छुक किसान/कृषक समूहों से अनुरोध है कि बीज ग्राम संकुल की स्थापना हेतु चयनित ग्राम, रकवा, कृषकों की सूची आदि से संबंधित सूचना सीधे अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाषः 06597 234284, 06597 2349112 (फैक्स), मोबाईलः 94311 75050 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुमण्डल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।